न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– 301/2024 GCMS NO. 2024/584

अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा जाति ब्राहमण दलौता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

..................वादी

– बनाम –

1. बबीता पुत्री गजानन्द
2. सिलोचना पत्नी गजानन्द
3. रिकूं पुत्र गजानन्द
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी दलोता तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.
4. राज्य जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रतिवादीगणगण

वाद – घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकीलवादी – श्री रामसिंह अवाना

–: निर्णय :– दिनांक :– 02/12/25

उपर्युक्त उनवानी वाद पत्र वादी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सं. 29 के खं.नं. 35 रकबा 1.61 हैक्टर का वादी संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वादी का सही नाम अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा है जो वादी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशनकार्ड, वोटर आई डी व बैकं खाता आदि में दर्ज है। लेकिन उक्त वर्णित भूमि मे वादी का नाम सोनू पुत्र गजानन्द दर्ज कर दिया इस प्रकार वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में वादी व उसके पिता का नाम गलत दर्ज होने से वादी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है राजस्व रिकार्ड में तथा अन्य दस्तावेजात में वादी का नाम अलग अलग दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है। इसलिये वादी को अपना नाम दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता सं. 29 के ख.नं. 35 रकबा 1.61 हैक्टर में दर्ज वादी का नाम सोनु पुत्र गजानन्द हजब किया जाकर उसके स्थान पर वादी का नाम अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 04 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1647 दिनांक 30.06.2025 से से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मय पटवारी हल्का ठाठवाड़ी की मूल रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो वाद शामिल पत्रावली की गई।

वादी की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2076 खाता सं. नया 29 ग्राम दलौता, कार्यालय ग्राम पंचायत ठाठवाड़ी का दिनांक 21.07.2025 को जारी प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि पेश की तथा साक्ष्य में शपथ–पत्र सत्यनारायण पुत्र नेतराम (पी.डब्ल्यू–1) एवं राकेश पुत्र सत्यनारायण (पी.डब्ल्यू–2) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार खेतड़ी व पटवार हल्का ठाठवाड़ी की जांच रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार खेतड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/1647 दिनांक 30.06.2025 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादी सोनू पुत्र गजानन्द के अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा किये जानी की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

–: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 29 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **सोनु पुत्र गजानन्द** के स्थान पर **अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.12.25 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 15:02:03 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

अमित शर्मा **– ब ना म –** बबीता आदि

दावा बाबत घोषणात्मक नाम दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर :– 301 / 2024 GCMS No. – 2024/584
निर्णय दिनांक :– 02/12/25

वादी की ओर से श्री रामसिंह अवाना एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 04 की और से स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02/12/25 को मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि : –

"वाद वादी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दलौता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 29 में वादी को वर्तमान में दर्ज नाम **सोनु पुत्र गजानन्द** के स्थान पर **अमित शर्मा पुत्र गजानन्द शर्मा** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातें में शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख 02/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2025.12.23 16:02:03 IST
Reason: SelfAttested